

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 606 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 28, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-78-2014-1-पांच (64).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में निम्नलिखित संशोधन, उक्त उपधारा के परन्तुक में की गई अपेक्षा के अनुसार जिस हेतु सूचना इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-ए-3-78-2014-1-पांच (62) दिनांक 16 दिसम्बर 2014 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है, करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में, भाग-तीन क में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक "23" के स्थान पर, अंक "27" स्थापित किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक 2 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक "27" के स्थान पर, अंक "31" स्थापित किया जाए.

यह संशोधन दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-78-2014-1-पांच (64).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-78-2014-1-पांच (64), दिनांक 19 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 19<sup>th</sup> December 2014

No. F-A-3-78-2014-1-V (64).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in Schedule II of the said Act, the notice for which has been previously published in Madhya Pradesh Gazette *vide* this department's No. F-A-3-78-2014-1-V (62), dated 16th December 2014 as required by the proviso of the said sub-section (1), namely:—

#### AMENDMENTS

In Schedule II to the said Act, in Part-III-A,—

- (i) against serial number 1, in column (3), for the figure “23”, the figure “27” shall be substituted;
- (ii) against serial number 2, in column (3), for the figure “27”, the figure “31” shall be substituted.

2. These amendments shall come into force from 20th December, 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.